



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 47/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
जहांगीर बेग छोटा बाजार] भवानी होटल के पास], बूँदी, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 25-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री विशाल मल्होत्रा, कार्मिक अधिकारी, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 3-5-17 के द्वारा वर्ष 2015-16 व 2016-17 में उत्पादन निगम के कितने कर्मचारियों के आवेदन प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु प्राप्त हुए इनमें एस.सी. व एस.टी., सामान्य वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के कितने आवेदन प्राप्त हुए की प्रतिलिपि तथा उत्पादन निगम के अधिकारियों द्वारा की गई संपत्ति की घोषणा, आदि के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 31-5-17 से बिन्दुवार विनिश्चय प्रेषित किया जा चुका है। पत्र दिनांक 21-6-17 से पुनः अपीलार्थी को संसूचित करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि बिन्दु संख्या 2 की सूचना विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 31-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सूचना का प्रेषण कर दिया गया है।
7. अपीलार्थी ने प्रतिक्रिया दिनांक 12-4-18 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।
8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सूचना के आवेदन के क्रम में पत्र दिनांक 31-5-17 एवं पुनः पत्र दिनांक 21-6-17 से विनिश्चय का प्रेषण कर दिया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना जिस रूप में उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान की जा सकती है। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना के विश्लेषण अथवा सूचना का सृजन कर, सूचना उपलब्ध करवाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

9. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
10. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त